

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 07 सितम्बर, 2005 ई0 भाद्रपद 16, 1927 शक सम्वत

> उत्तरांचल शासन वित्त अनुभाग–5

संख्या 286/XXVII(5)/स्टाम्प/2005 देहरादून, 07 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

प0 आ0-101

राज्यपाल, उत्तरांचल समय-समय पर यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की घारा 78 क के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ग्राम-खैरासैंण, तहसील-सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के काश्तकारों द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु दान में दी गयी भूमि पर प्रभार्य पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राघा रतूड़ी, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 286/XXVII(5)/Stamp/2005, dated September 07, 2005 for general information:

No.286/XXVII(5)/Stamp/2005 Dated Dehradun, September 07, 2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 78 A of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) (as applicable in the State of Uttaranchal) as amended from time to time, the Governor is pleased to remit the Registration Fees chargeable by the State Government in respect of the land donated by the villagers of Village--Khersain, Tehsil-Satpuli, District-Pauri Garhwal for the establishment of Jawahar Navodya Vidyalaya.

By Order,

RADHA RATURI, Sachiv.